

ed ; ea=h dU; knku ; kst uk

mnns ; :- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत गरीब जरूरत मंद निराश्रित /निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा/परित्यक्ता महिला के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है ।

i ko/kku %&

- सामूहिक विवाह में कन्या को गृहस्थी हेतु रुपये 6500/- की सामग्री प्रदाय की जाती है तथा प्रयोजक को प्रति विवाह रू0 1000/- व्यवस्था हेतु दिया जाता है ।

dku ykHk ys I drk gS %&

- निर्धन/निराश्रित परिवार कन्या/विधवा/परित्यक्ता ने विधि द्वारा विवाह के लिये निर्धारित आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है ।
- आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा परिवार मध्य प्रदेश में निवासरत हो ।

; kst uk dk ykHk dS s ya %&

- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित जनपद पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- आयु संबंधी प्रमाण के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा चिकित्सक का प्रमाण पत्र ।

mi l pkyd
I kekftd U; k;
ftyk fM. Mksh